



2026:AHC: 2415

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19513 वर्ष 2025

रीना

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जयंत प्रकाश सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री जयंत प्रकाश सिंह के सहयोगी के रूप में सुश्री मीना मिश्रा (ए.ओ.आर. संख्या- ए/एम0433/2012), रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता, और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 27.08.2002 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में हुई थी, हालांकि, दिसंबर 2024 से उनका वेतन रोक दिया गया है। याचिकाकर्ता ने वेतन/मानदेय के लिए दावा प्रस्तुत किया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या-4 द्वारा परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को निस्तारित करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या-4 के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रतिवादी संख्या-4 उक्त प्रस्ताव पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, कानून के अनुसार सख्ती से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

7 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।